(2)

Legal Document & Approval of Project

IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–7
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
Email-architectplanner7@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्र सं0–1963 / नि0प्रा0-02/2015 दिनांक– 03/08/2015

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम–1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

श्री रमेश सिंह परिहार
21, प्रेम बगीचा, निकट गुरूदेव पैलेस
विनायकपुर, कानपुर।

विषयः–ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या– O/GH/Ar-350,352, सेक्टर– ओ, केशवपुरम, योजना संख्या–1 कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–O/GH/Ar-350,352, सेक्टर–ओ, केशवपुरम, कानपुर में निर्माण करने संबधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 30.07.15 के क्रम में नि0प्रा0 आदेश रजिस्टर संख्या– 02/2015 के अनुसार एवं मुख्य वास्तुविद् नियोजक/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव (म0) के द्वारा दिनांक 15.07.2015 को प्रदान किए गए अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 03/8/2015 से 02/8/2020 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–17, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेंट + स्टिल्ट + 04 तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 6521.71 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 2942.00 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखंड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरूद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरूद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।

क्रमशः–2

10. मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र संख्या— 2014 / 2974 / के0एन0सी0 / कानपुर नगर / 135 / सी0एफ0ओ0 / दिनांक 30.10.2014 द्वारा निर्गत प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण—पत्र में अंकित शर्तों के अनुक्रम में अनुज्ञा निर्गत की जा रही है। भवन के, स्थल पर आर्किटेक्चरल मानचित्र के अनुसार निर्मित हो जाने के उपरान्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी से उक्त निर्मित भवन के सापेक्ष अंतिम रूप से निर्गत अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा, जिसके उपरान्त ही पूर्णतः प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।
11. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने / हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
12. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
13. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
14. समय—समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
15. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
16. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
17. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों / शर्तों का शत—प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है।
18. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन—सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
19. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

<u>संलग्नक:</u>

1. आर्किटैक्चरल मानचित्रों का एक सैट (03 नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सैट (06 नग शीट)।
3. स्ट्रक्चरल गणना का एक सैट (257+315 = 572 पृष्ठ)।
4. अग्निशमन मानचित्रों का एक सैट (03 नग शीट)

भवदीय

03.8.1

(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक

पृ0सं0: / उक्त / दिनांक :

प्रतिलिपि:1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड— 17, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर का उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, फजलगंज, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट एवं प्रपत्र—च सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

<u>संलग्नक:— यथोक्त।</u>

वास्तुविद नियोजक